



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012023-241965
CG-DL-E-14012023-241965

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 223]
No. 223]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 13, 2023/पौष 23, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 13, 2023/PAUSHA 23, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2023

का.आ. 237(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2278(अ) दिनांक 18.05.2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं. 12ए (नया रा.रा.क्रं.30) के 0.000 कि.मी. से 21.850 कि.मी. तक के भूखण्ड (जबलपुर-बरेला सेक्शन) का निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "09.07.2022" को "दैनिक भास्कर" और "हितवाद जबलपुर" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है।

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं. 12ए (नया रा.रा.क्रं.30) के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 21.850 (जबलपुर से बरेला सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: जबलपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: रांझी कैट				
	गांव का नाम: गोरिया घाट				
1	143/4 144/4	निजी	दिवेर्टेड	0.115	श्रीमती महेन्द्र कौर अटवाल पति स्व. श्री जितेन्द्र अटवाल (143/4 144/4)
			कुल	0.115	

[फा. सं. CE-RO BPL/30010/37/2018-19/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2023

S.O. 237(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 2278(E) dated 18.05.2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for (Widening/2-Laning, etc.) Maintenance, management and operation of National Highway No. 12A (New NH-30) in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 21.850 (Jabalpur-Barela Section), in the district of Jabalpur in the State of Madhya Pradesh.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Bhaskar” date 09.07.2022 And “Hitvada News” date 09.07.2022 under sub-section (3) of section 3A of the said Act.

And whereas no objections has been received From Any person By The Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the Said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km.0.000 to Km. 21.850 (Jabalpur-Barela Section) of the National Highway No.12A (New NH-30) in the district of Jabalpur, in the State of Madhya Pradesh.

State: MADHYA PRADESH			District: JABALPUR		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Ranjhi Cant.				
	Village: Goriya Ghat				
1	143/4 144/4	Private	Diverted	0.115	SHRIMATI MAHENDRA KAUR ATWAL PATNI JITENDRA ATWAL 143/4 144/4
			TOTAL	0.115	

[F. No. CE-RO BPL/30010/37/2018-19/3D]

RAJESH GUPTA, Director